न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 192/2018

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1धर्माराम पुत्र प्रतापराम 2रतनाराम पुत्र प्रतापराम जातियान जाट निवासीगण भटनोखा तहसील मुण्डवा जिला नागौर।		राज.सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डवा।

उपस्थिति :–
1. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांक:01.08.19

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, मुण्डवा द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 60/2018 सरकार बनाम धर्माराम में निर्णय दिनांक 20.07.18 के तहत मौजा भटनोखा के खसरा नं. 431, 421 व 432 रकबा 4.05 बीघा गै.मु. रास्ता व मगरा भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 09.08.18 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 13.08.18 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 60/18 सरकार बनाम धर्माराम की पत्रावली की फोटोप्रति तथा तहसीलदार मुण्डवा के प्रकरण सं. 440/18 सरकार बनाम धर्माराम की पत्रावली की फोटोप्रति पेश की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय जैर अपील विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो के विपरीत होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(II)–पटवार हल्का हिलौडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे पटवार हल्का ने अपीलांट्स का कब्जा संवत 2075 के अतिरिक्त पिछले वर्ष संवत 2074 मे अपीलांट्स को बेदखल करने का लिखा है, किन्तु इस संबंध मे किसी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफ्स, गवाहान के बयान व अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई और बिना किसी आधार के अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स के विरूद्व पूर्व मे बेदखल करने की स्थिति को बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के साबित मानकर अपीलांट्स को पश्चातवृति अतिक्रमी मानकर सिविल कारावास के दण्डादेश से दण्डित करने का आदेश जैर अपील पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध है। जबकि पूर्व में चली पत्रावली प्रकरण सं. 440/18 में अपीलांट को मात्र खसरा नं. 431 गै.मु. रास्ता व खसरा नं. 618/539 मे होने का अंकन कर कार्यवाही चलाई गई थी, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण मे खसरा नं. 431 के साथ साथ खसरा नं. 421, 432 पर अतिक्रमण करने का उल्लेख कर कार्यवाही की है, जो कतई पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी मे पोषणीय ही नही है। पश्चातवृति अतिक्रमी से पूर्व अपीलांट्स का अतिक्रमी के रूप मे होना और उसको पूर्व मे विधिवत रूप से बेदखल किया जाना प्रमाणित होना आवश्यक था, उक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य सबूत व जवाबदेही का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित किया है, दिनांक 02.07.18 को अपीलांट्स का नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ, अंकित किया गया है, जबकि अपीलांट्स को ऐसा कोई नोटिस प्राप्त नही हुआ तथा आगे पत्रावली दिनांक 20.07.18 को नियत कर अपीलांट्स की अनुपस्थिति दर्ज कर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जबकि अपीलांट्स को युक्तियुक्त रूप से उसके हितो को देखते हुए न्याय हित मे साक्ष्य, सबूत व जवाबदेही के लिये पर्याप्त समय दिया जाना न्यायोचित था, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र औपचारिकता पूर्ण तरीके से अपीलांट की अनुपस्थिति के आधार मात्र से ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, इस प्रकार उक्त निर्णय जैर अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना करते हुए एकपक्षीय रूप से पारित निर्णय है, जो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(IV)–अधीनस्थ न्यायलय द्वारा पटवारी हल्का के कथनो व रिपोर्ट की तुष्टि करने का प्रयास तक नही किया गया, केवलमात्र पटवार हल्का के अपुष्ट कथनो व रिपोर्ट को गलत प्रकार से आधार मानकर आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना है, अधीनस्थ न्यायालय ने इन समस्त तथ्यो को नजरअंदाज करते हुए केवलमात्र पटवार हल्का हिलोडी के आवेदन के आधार पर अपीलांट्स के विरूद्व उक्त निर्णय जैर अपील पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(V)–अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का बिना अवलोकन किये मात्र अपीलांट्स को दण्डित करने के उद्देश्य से निर्णय पारित कर दिया, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाइल मे टाईपसुदा कागज है, जिसमे खाली जगह छोडी गई है, जिनको भरकर खानापूर्ति की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्व है और अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर के विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट्स को तीन माह का साधारण कारावास की सजा दी है, जो न्याय संगत नही है, ऐसी स्थिति में भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)–अपीलार्थी को गलत रूप से पश्चातवर्ती अतिक्रमी के रूप मे परिभाषित करते हुए तमाम कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय व पटवार हल्का हिलोडी द्वारा अमल मे लाई गई है, जबकि अपीलार्थी का मौके पर संवत 2075 मे कभी भी कोई कब्जा नही रहा, न ऐसी कोई स्पष्ट व संगत साक्ष्य ही रही, पटवार हल्का व अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की तह तक पहुंचे बगैर तथा मौका स्थिति की साम्यता को परखे बगैर गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से संपूर्ण कार्यवाही कर बगैर किसी साक्ष्य के तथा अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर आदेश जैर अपील पारित किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)–वास्तविक स्थिति तो यह है कि अपीलांट्स का खसरा नं. 431, 421, 432 के किसी भी भू भाग पर किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण नही है, मौके की स्थिति का अधीनस्थ न्यायालय व पटवार हल्का हिलोडी ने कोई जायजा, मुआयना किये बगैर कार्यालय मे बैठकर गलत, अनुचित व अवैध प्रकार से पुनरावृत कब्जा मानकर आदेश जैर अपील पारित किया है, अपीलांट्स का खसरा नं. 431, 421, 432 की एक इंच भूमि पर भी कब्जा नही है। अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष पटवारी हल्का ने रिपोर्ट के संलग्न किसी स्वतंत्र गवाह के बयान प्रस्तुत नही किये, न ही किसी प्रकार से अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य, फोटोग्राफ्स इत्यादि सम्यक साक्ष्य ही प्रस्तुत की, अपितु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर तो दूर अपीलांट्स को नोटिस की सम्यक तामील तक नही करवायी गई व अपीलांट्स के विरूद्व शास्ति व दण्डादेश का आदेश पारित किया है, जो गलत, अनुचित व विधि विरूद्व रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो की अवहेलना करते हुए पारित किय गया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VIII)– अपीलांट्स के खिलाफ निर्णय जेर अपील पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण सं. 440/17 के द्वारा अपीलांट्स को पूर्व मे बेदखल करने और पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित किया है, जबकि प्रकरण सं. 440/17 मे अपीलांट्स को बेदखल करने के बाबत कोई फर्द व दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध नही है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व मे बेदखली करने के उपरांत पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए जो निर्णय जैर अपील पारित किया है, वो इस आधार पर खारिज होने योग्य है।

{2}(IX)–अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स की संबंध मे विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्रोपर तामील किये बिना ही व्यक्तिगत तामील किये बिना ही अपीलांट्स की तामील विधि विरूद्व रूप से करवाकर तामील कुनिन्दा ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है, क्योकि अपीलांट्स गांव भटनोखा मे उपस्थित ही नही

अपर कलक्टर, नागौर

था, तो उसकी तामील का प्रयास नही करवाकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। इस कारण से तामील की संपूर्ण प्रक्रिया ही विधि विरूद्व है एवं व्यक्तिगत तामील नही होने से आदेश 9 सीपीसी की पालना संपूर्ण रूप से नही करवाने से व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही देने से भी निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{2}(X)–वकील अपीलांट द्वारा आगे तर्क दिया गया कि अपीलांट ने आराजी भूमि से स्वतः अतिक्रमण हटा लिया है। जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 2.8.18 से भी होती है। इसलिये सिविल कारावास की सजा माफ की जानी चाहिये।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट्स द्वारा मौजा भटनोखा में स्थित गै.मु. रास्ता व मगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट्स को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भटनोखा के खसरा नंबर 431, 421 व 432 रकबा 4.05 बीघा गै.मु. रास्ता व मगरा भूमि पर अपीलांट्स का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता व मगरा है, जो सार्वजनिक उपयोगी भूमि होने से नियमन योग्य भी नही है तथा अब आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा भी लिया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना पर हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। परंतु सजा के बिन्दु नरम रूख अपनाया जाना उचित है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट्स की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील के तहत बेदखली व जुर्माना का आदेश यथावत कायम रखा जाता है। सिविल कारावास की सजा इस शर्त के साथ माफ की जाती है कि अपीलांट्स ने आराजी भूमि से अतिक्रमण हटा लिया तथा भविष्य में अतिक्रमण नही करने के संबंध में इस आदेश जारी होने के 15 दिवस में अधीनस्थ न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत करेगे तथा अधीनस्थ न्यायालय स्वयं मौका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगें कि अपीलांट्स का भौतिक रूप से अतिक्रमण है अथवा नही। यदि भौतिक रूप से अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास की सजा यथावत कायम रहेगी।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर